

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

आदेश

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, बागेश्वर से विचार-विमर्श के उपरान्त अवकाश के दौरान रिमाण्ड कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारियों का क्रमवार निम्न प्रकार से किया जाता है।

माह जून, 2024

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बागेश्वर।

माह जुलाई, 2024

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बागेश्वर।

माह अगस्त, 2024

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बागेश्वर।

माह सितम्बर, 2024

सिविल जज (सी0डि0) बागेश्वर।

माह अक्टूबर, 2024

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
गरुड़, बागेश्वर।

दिनांक-31.05.2024

(गुंजन सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बागेश्वर।

**प्रतिलिपि:-**

1. माननीय जिला न्यायाधीश महोदय बागेश्वर, को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. सिविल जज (सी0डि0), बागेश्वर।
3. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर।
5. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़, बागेश्वर।
6. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, बागेश्वर।
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, बागेश्वर।
8. गार्ड फाईल।

दिनांक-31.05.2024

(गुंजन सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बागेश्वर।